कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोरखपुर

पत्र संख्या–UID/2014/5551/GKR/Gorakhpur/70/DD दिनांकः 19/12/14

सेवा में,

सचिव,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

विषयः– <u>प्लाट/मकान संख्या सी–123/369 पुर्दिलपुर, जिला–गोरखपुर में प्रस्तावित व्यावसायिक (मल्टी प्लैक्स) भवन का मानचित्र संख्या–1530/14 का अग्निशमन/जीव रक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में आपके पत्र संख्या–99/मानअनु0/गो0वि0प्रा0/2014–15 दिनांक 02.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण/निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर द्वारा कराया गया तो प्राप्त निरीक्षण आख्या दिनांक 12.12.2014 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

<u>भवन की संरचना</u>:–

1. कुल भूखण्ड एरिया – 5102.31 वर्ग मीटर।
2. प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया – 1778.78 वर्ग मीटर।
3. प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मीटर (प्रत्येक तलवार) विवरण–

प्रथम तल– 1778.78 वर्ग मीटर, द्वितीय तल–1302.14 वर्ग मीटर, तृतीय तल–898.96 वर्ग मीटर, प्रोजेक्शन रूम कवर्ड एरिया – 150.00 वर्ग मीटर, सर्विस फ्लोर कवर्ड एरिया–744.47 वर्ग मीटर, चतुर्थ तल – 799.27 वर्ग मीटर, पंचम तल – 799.27 वर्ग मीटर, छठाँ तल – 799.27 वर्ग मीटर, लिफ्ट + मुमटी

एरिया – 76.04 वर्ग मीटर है।

4.	बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया	–	2807.57 वर्ग मीटर।
5.	बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया	–	2807.57 वर्ग मीटर।
6.	बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया	–	2455.48 वर्ग मीटर।
7.	मेजनिंग फ्लोर कवर्ड एरिया	–	1 57.18 वर्ग मीटर।
ए.	कुल आच्छादित कामर्शियल एरिया	–	5990.03 वर्ग मी0।
बी.	कुल आच्छादित सिनेमा एरिया	–	1739.81 वर्ग मी0।
सी.	कुल आच्छादित होटल एरिया	–	2897.81 वर्ग मी0।
	कुल आच्छादित एरिया		10203.69 वर्ग मी0

8. <u>भवन की ऊँचाई</u> – 32.337 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी – प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की डी–6 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया जिसमें प्रयुक्त मैटीरियल – प्रथम है।

<u>ढाँचागत व्यवस्था</u>:–

1. <u>पहुँच मार्ग</u> – भूखण्ड के सामने मानचित्र में 24 मीटर रोड की चौड़ाई है।
2. <u>प्रवेशद्वार की चौड़ाई</u> – 06 मीटर जो मानक के अनुसार है।
3. <u>सेट बैक</u>:– प्रस्तावित भवन का सेट बैक निम्नवत् है।

क.	अग्र भाग	–	9.00 मीटर
ख.	पृष्ठ भाग	–	9.00 मीटर
ग.	पार्श्व भाग प्रथम	–	9.00 मीटर
घ.	पार्श्व भाग द्वितीय	–	12.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन नियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4. <u>निकास मार्ग</u>:– प्रस्तावित भवन में 02 स्टेयर केस व लिफ्ट का प्राविधान किया गया है प्रस्तावित स्टेयर केस की चौड़ाई 02 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। उपरोक्त के अतिरिक्त फायर मैन स्विचयुक्त फायर लिफ्ट का प्राविधान किया गया है।

5. <u>रिफ्यूज एरिया का विवरण</u> :– प्रस्तावित भवन में 24 मी0 की ऊँचाई पर रिफ्यूज एरिया का प्राविधान किया गया है।

<u>अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः</u>– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1. <u>भूमिगत टैकः</u>– भूमिगत टैंक 2,00,000 ली0 क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।
2. <u>पम्पः</u>– अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का दो विद्युत चालित पम्प व एक डीजल चालित पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता, जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का मानचित्र में प्राविधिानित है।
3. <u>होजरीलः</u>– प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर होजरील सिस्टम तथा लैडिंग बाल्ब **I.S. 3844** मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
4. <u>वेट राइजरः</u>– प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0–2005 के मानकों के अनुरूप प्राविधानित है।
5. प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइडेन्ट, होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेवरी होज तथा ब्रॉच पाईप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान मानक सं0–13039 : 1991 के अनुरूप प्राविधानित है।
6. <u>हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम</u>–सम्पूर्ण भवन में मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप है।
7. <u>स्वचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः</u>– सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।
8. <u>स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः</u>– सम्पूर्ण भवन में बेसमेन्ट सहित एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान है।
9. <u>टेरेस टैंकः</u>– प्रस्तावित भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 20,000 ली0 क्षमता का प्रस्तावित है।
10. <u>टेरेस पम्पः</u>– प्रस्तावित भवन में टेरेस पम्प वाँदनीय नहीं है।
11. <u>प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः</u>– प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त मानक संख्या 2190 : 1992 के अनुसार किया जाना प्राविधानित है।

12. <u>स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम</u>:–

ए. फायर चैकडोर, स्मोक चैकडोर की लोकेशन व रेटिंग–फायर चैकडोर / स्मोक चैकडोर भूतल / बेसमेन्ट तृतीय में प्रस्तावित है जिसका रेटिंग क्षमता 2 घण्टा है।

बी. सिस्टम की मैक अप एयर एयर हेतु स्मोक एक्झास्ट एक्यूमेन्ट क्षमता 12 एयर की व्यवस्था किया जाना प्राविधानित है।

सी. स्मोक रिजर्व वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी मानक के अनुसार प्राविधानित है।

13. <u>प्रेशराईजेसन प्रणाली</u>:–

(1) भूतल पर प्रेशराइजेसन की व्यवस्था प्राविधानित है। व उसमें होने वाले फैन्स की डकटिंग इत्यादि है।

(2) प्रेशराइजेसन सिस्टम–डिटेक्शन से इण्टर लॉकिंग।

14. <u>ऐग्जिट साइनेज</u>:– सम्पूर्ण भवन के ऐग्जिट साइनेज (ग्लो साइन बोर्ड) प्राविधानित है।

15. <u>पी0ए0 सिस्टम</u>:– सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम प्राविधानित है।

16. सिनेमा रूल्स 1951 के तहत सेटिंग की व्यवस्था मानचित्र में प्राविधानित है।

17. आकस्मिक सेवाओं का टेलीफोन नम्बरों की पट्टिका व धूम्रपान निषेध की पट्टिका की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तावित होटल भवन के किचेन में CO_2 फलडिंग सिस्टम की व्यवस्था कराया जाना आवश्यक होगा।

19. प्रस्तावित सिनेमा भवनों में बीम डिटेक्शन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।

20. सराउण्डिंग सेटबैक 45 टन भार वाहन क्षमता का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

21. परिसर में एक असेम्बली प्वइंट बनाया जाय तथा चिन्हीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

22. भूमि/भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना, तथा अग्निशमन विभाग से अनुमति प्राप्त करना सम्बन्धित प्रबन्धक/भू–स्वामी का उत्त्दायित्व होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स श्री प्रेम मोहन दास व अन्य द्वारा मोहल्ला–पुर्दिलपुर, गोरखपुर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निमयावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 व उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली–2005 के नियम–4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर

प्रतिलिपि–

1. अग्निशमन अधिकारी, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु।